न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सराड़ा (उदयपुर)
पीठासीन:- रणछोड़लाल डामोर (R.A.S.)
प्रकरण संख्या:- 60/15
किस्म प्रकरण:- सी.पी.
दावा दिनांक:- 24/12/15
फैसला दिनांक:- 22.1.16

1. श्री दयाशंकर पिता मोतीराम पसायत निवासी सगतड़ा तह. सराड़ा

वादी---

बनाम

1. सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सराड़ा जिला उदयपुर

प्रतिवादी---

वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
एवं अनुज्ञप्ति हुस्ती

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा सगतड़ा तहसील सराड़ा की साबिक आराजी नम्बर 225 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में सैटलमेन्ट पुर्व वादी के खोले दर्ज थी जिस पर वादी वर्षो से आज तक बे रोक-टोक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। साबिक आ.न. 225 के हाल आराजी 638 रकबा 0.54 है0 बने है। जिस पर काबिज होकर काश्त कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है।

आ.न. 638 रकबा 0.54 है0 भूमि पुरी एक चक है जिस पर वादी बे रोकटोक काबिज होकर कर रहा है व चौस और बुर की बाड लगा रखी है। जिसमें वादी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक अधिकार नही है। वादी का दिनांक 3.12.
का कब्जे के आधार पर आराजी नम्बर 638 रकबा 0.54
कृषि भूमि अंकित हुई जो राजस्व रिकार्ड में निम्नानुसार सगत
के राजस्व रिकार्ड में जरिये ईन्तकाल के दर्ज हो गई व आज
के समक्ष हल्का पटवारी से वादी का मौके पर कब्जा सुपुर्द
दिनांक से आज तक वादी काबिज होकर काश्त करता
रहा है। लेकिन प्रतिवादी / विपक्षी द्वारा वक्त सैटलमेन्ट,
अधिकारी से जान बुझकर आनावश्यक लाभ प्राप्त करने
मंशा से वादी की आराजी नम्बर 638 रकबा 0.54 है0
खिलाफ सरकार दर्ज कर दी। जो मुनः वादी के खिलाफ
से यह वाद प्रस्तुत किया।

पगवली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रतिवादी राजकीय
प्रतिनिधि के जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी के सम्मन
तामिल प्राप्त होने के बावजूद भी प्रतिवादी की तरफ से
कोई उपस्थित नहीं होने से जवाब प्रतिवादी बन्द किया जाकर
प्रतिवादी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।
पगवली वादी की एक पक्षीय साक्ष्य हेतु पेश हुई। वादी अधिवक्ता
ने अपनी साक्ष्य में वादी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया
जो शामिल पगवली किया गया। वादी अधिवक्ता ने अपनी एक
पक्षीय बहस में अपने द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अनुरूप कथन
प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया की मौपा सगतड़ा की भा. न.
638 रकबा 0.544 है० भूमि जो वर्तमान में बिलनाम है उसे पुनः
वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश करावें।

हमारे द्वारा वादी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस
सुनी गई एवं पगवली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का ध्यान
पूर्वक मनन/अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट जाहिर होता
है कि मौपा सगतड़ा की भा. न. 225 रकबा 5 बीघा भूमि
वादी की आंवटन शुदा भूमि है जिसके बदले भा. न. 638 रकबा
0.544 है० भूमि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा राजकीय बिलनाम राजस्व
रेकार्ड में दर्ज कर दी गई जो गलत है। सेटलमेन्ट अधिकारियों
को पूर्व के प्रकरणों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का
कोई अधिकार प्राप्त नहीं था।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर
मौपा सगतड़ा की भाखरी नम्बर 638 रकबा 0.544 है० भूमि को
किम बिलनाम सरकार से कम कर वादी के नाम दर्ज
आदेश दिये जाते हैं। भा. न. 638 रकबा 0.544 है० भूमि
को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है साथ ही
वादी के जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता
वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी प्रकार की
दावी स्वयं अथवा नौकरों परिजनों आदि से नहीं करावें।
ी खर्चा खुमार होकर नम्बर दे कम की जाकर
तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी
सराड़ा, जिला–उदयपुर